कार्यालय : न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, प्रतापगढ़, (राज.)

Telephone No.-01478-220077 E-Mail ID- fc-pra-rj@hcraj.nic.in

क्रमांक :— स्थापना / 2021 / 38 दिनांक :— 17.05.2021

—::आदेश ::—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 08 / पी.आई / 2021 / दिनांक 16.05.2021 के अनुसरण मे परिवर्तित परिस्थितियों मे कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने एवं निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 18—05—2021 से दिनांक 24—05—2021 तक निम्न कार्य व्यवस्था अमल मे लाई जाती है :—

01.— कोई भी अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र जो इस न्यायालय से संबंधित है, उन्हें इस न्यायलय के अधिकृत ई—मेल पता **fc-pra-rj@hcraj.nic.in** पर ही भेजे जायेंगे, जो इस शर्त के साथ स्वीकार किये जायेंगे कि जैसे ही नियमित रूप से न्यायालय कार्य चालु होता है, उस समय उस प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि की मूल प्रति पक्षकार / अधिवक्ता द्वारा इस अधिकरण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगें। उपरोक्त अधिकृत ई—मेल पर भेजे जाने वाले अति आवश्यक प्रकरण / प्रार्थना पत्र आदि के साथ पक्षकार / अधिवक्ता के वह मोबाईल नम्बर जिस पर वॉट्स एप है, का विवरण तथा पक्षकार / अधिवक्ता का सम्पूर्ण पता व ई—मेल पता उसके साथ भेजा जायेगा और उसके बिना अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरण / प्रार्थना पत्र ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होंगे।

02.— अति आवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवायी विडियो कोन्फ्रेसिंग के द्वारा विडियों कॉल / वॉट्स एप / वाईस कॉल के माध्यम से ही की जायेगी।

उक्त अति आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथिया सुनिश्चित की जाती हैं। यदि किसी प्रकरण मे स्थगन आदेश प्रभावी है तो यह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

वर्तमान नियत तिथि	आगामी नियत तिथि	
	समस्त सिविल प्रकरण	पारिवारिक प्रकरण (धारा 125 दं0प्र0सं0 के प्रकरणों सहित)
18—05—2021	29—06—2021	31—05—2021
19—05—2021	29—05—2021	31—05—2021
20—05—2021	29—05—2021	01—06—2021
21—05—2021	02—07—2021	04—06—2021
22—05—2021	28—06—2021	02—06—2021
24—05—2021	28—06—2021	03—06—2021

परिवर्तित दिनांक शीघ्र ही सीआईएस पर अपडेट कर दी जायेंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता हैं तो वह इस संबंध में कारणों को अंकित करेगा तथा यदि न्यायालय सुनवाई के पश्चात यह उचित पाता है कि प्रकरण वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

Sd.
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
प्रतापगढ़ (राज.)

53
17.5.21

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अधिवक्ता संघ, को प्रेषित कर अनुरोध हे कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावें तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करें कि वें अपनें पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचें और संक्रमण मुक्त व सुरक्षित रहें।
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करें एवं सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावें।
4—सूचना की प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावे।

17/5/2021
न्यायाधीश
पारिवारिक न्यायालय
प्रतापगढ़ (राज.)